(d) if so, what are the findings thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITA RAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Ministry has written to the Government of Andhra Pradesh for sending a factual report in the matter. Details would be laid on the table of House on receipt of report.

Reservation for promtions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

3488. SHRI GAYA SINGH:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to effect a constitutional amendment for reservation in promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services in the wake of Supreme Court judgement on Mandal report; and;

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The proposal is under consideration of the Government.

Reservation for Buddhists

3489. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether all departments of Government of India and Public Sector Undertakings have been notified the Buddhists are entitled for reservations by the constitutional amendments No. 5th of 1990 dated 12th March, 1990;

(b) if not, when do Government propose to notify the same; and

(c) whether it would be ensured in every advertisement that Buddhists are also entitled for reservation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990, which enables persons belonging to Scheduled Caste communities converted to Buddhist religion to be deemed to be members of the Scheduled Caste communities, was notified on 4.6.1990 and circulated to all the State Governments|UT Administrations, Ministries/Departments of Government of India for taking necessary action.

(c) In advertisement indication is given about the reservation for SCs and STs (without indicating the name of any particular religion) mentioning therein various relaxations|concesions etc. available to them.

Tribals facing problems in India

3490. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the observation made by ILO that tribals face immence problems in India;

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) what steps are proposed to be taken to give a better image about India?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

कल्याण योजनाओं का लक्ष्य

3491. श्री राम सिंह राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों

और निर्बल व्यक्तियों के विकास की कल्याण योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कल्याण योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण तथा विकास के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 1993-94 से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये विचौलियों के विभिन्न केन्द्र, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1993-94 बजट आवंटन	वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
	अनुसूचित जाति विकास		
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	247.00	26.42 लाख परिवार
2.	राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगमों की अंश पूंजी की ओर अंशदान	22.00	6.40 लाख लाभग्राही
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त, एवं विकास निगम	21.00	25,000 लाभग्राही
4.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	73.20	51,000 सफाई कर्मचारी
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	72.40	18.30 लाख छात्रवृत्तियां
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	14.00	2.80 लाख छात्रवृत्तियां

1	2	3	4
7.	बालिका छात्रावास (अनुसूचित जाति)	6.00	200 होस्टल 10,500 लड़कियां
8.	लड़कों के लिये होस्टल (अनुसूचित जनजातियां)	6.00	230 होस्टल 12,000 लड़के
9.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृद्धि योजना	0.75	30 उम्मीदवार
10.	पुस्तक बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये	5.60	40,000 अतिरिक्त विद्यार्थी
	कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं	2.00	104 प्रशिक्षण केन्द्र 8,000 विद्यार्थी
12.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	6.50	131 संगठन सेमिनार
13.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.80	12 सेमिनार 50 मूल्यांकन परियोजनायें
14.	अत्यन्त निम्न साक्षरता स्तर वाले अनुसूचित जाति के लड़कियों के लिये विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	6.00	24 शैक्षिक परिसर
II.	आदीवासी विकास		
15.	विशेष केन्द्रीय सहायता	275.00	9 लाख परिवार
16.	अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	75.00	
17.	बालिका छात्रावास (अनुसूचित जनजाति के लिये)	3.00	74 होस्टल 1342 सीट
18.	लड़कों के लिये होस्टल (अनुसूचित जनजाति के लिये)	3.00	74 होस्टल 1342 सीट
19.	श्रम विद्यालय	2.50	60 आश्रम विद्यालय
20.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	1.20	14 आ०अ० सं की सहायता 25
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान तथा अनुसंधान फैलोशिप अवार्ड		
	(ख) अखिल भारतीय (गैर सरकारी अनुसंधान संगठनों को सहायता)	0.15	10 संगठन
21.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	4.00	80 से 85 संगठन
22.	लघु वन उत्पाद प्रचालन के लिये राज्य आदिवासी विकास निगमों को अनुदान	3.50	लगभग 10 राज्य टी. डी.सी.सी.एस. विकास निगमों को अनुदान

1	2	3	4
23.	आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिये निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिणक परिसर	1.25	10 परिसर
24.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1.90	13 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
III	अल्पसंख्यक/पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		
25.	आर्थिक मानदंड पर पास कमजोर वर्गों के लिये परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रशिक्षण	3.00	100 कोचिंग संस्थान 12,000 प्रत्याशी
26.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	32.00 (शेयर पूंजी के)	1.5 लाख लाभग्राही
27.	अन्त: देशीय दत्तक ग्रहण प्रोत्साहन के लिये शिशुओं तथा युवा बच्चों हेतु गृहों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना	0.50	24 गृह
IV	समाज कल्याण तथा बाल कल्याण		
28.	स्वयंसेवी संगठनों को मद्यनिषेध तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए सहायत अनुदान	13.80	254 विद्यमान केन्द्र तथा 14 नये निव्यतन केन्द्र तथा 6 नए केन्द्र
29.	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का विकास	2.00	60 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अनुमानित) प्रत्येक के साथ 25 प्रशिक्षिणार्थी
30.	स्वयंसेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता	0.50	30 संगठन
31.	सूचना तथा जन शिक्षा	1.00	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिये
32.	समाज रक्षा सेवायें प्रदान करने के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	0.50	लगभग 10 संगठन
33.	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	3.00	विद्यमान 125 संगठन तथा 75 नये संगठन
34.	अनुसंधान तथा प्रकाशन के लिये सहायता अनुदान	0.50	15 अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत किया जायेगा

1	2	3	4
35.	बेसहारा बच्चों के विकास के लिये योजना स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	3.00	40 संगठन 24,000 बच्चे
36.	भिक्षावृत्त निवारण के लिए योजना	1.00	40 भिक्षु गृहों को सहायता देने के लिये
37.	विकलांगों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम	12.75	20 पुनर्वास एकक
38.	विकलांगों को रोजगार	0.50	5,000 व्यक्ति
39.	विशेष शिक्षा की योजना	1.50	25 विशेष विद्यालय
40.	जिला पुनर्वास केन्द्र को सहायता अनुदान	5.40	11 केन्द्र
41.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजना	0.50	25 चल रहे तथा 12 नई परियोजनायें
42.	विकलांग व्यक्तियों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	7.70	330 विद्यमान तथा 320 नये संगठन
43.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये स्वयं-सेवी संगठनों को सहायता	0.40	10 विद्यमान संगठन जोड़ पहचान किये जाने वाले संगठन
44.	मस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	0.50	5 विद्यमान संगठन जोड़ पहचान किए जाने वाले संगठन
45.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायक यंत्र तथा उपकरण के लिये सहायता	10.00	100 संगठन

Atrocities committed on Backward Communities

3492. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state the number of atrocities committed on Scheduled Castes and Backward communities during the period June 15, 1993 to July 20, 1993?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): The information is under collection from States/UTs.

Pension for the senior Citizens

3493. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to introduce pension scheme for senior citizens, in the country those who are fully dependent upon their children and not getting any pension or there is no other source of income after completion of 58 years for their personal establishment; and